रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1282] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931
No. 1282] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

Indiacode

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

का.आ. 2125(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 521(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 3 के तीसरे परंतुक में "प्राधिकरण ऐसे पांच सदस्यों तक सहयोजित कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण ऐसे दस सदस्यों तक सहयोजित कर सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. जे. 19011/1/2009-एनआरसीडी-II पार्ट फाइल]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 521(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

S.O. 2125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 521(E), dated the 20th February, 2009, namely :—

In the said notification, in the third proviso to paragraph 3, for the words "the Authority may co-opt up to five members", the words "the Authority may co-opt up to ten members", shall be substituted.

[No. J-19011/1/2009-NRCD-II Pt. file]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Note :—The principal notificaton was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 521(E), dated the 20th February, 2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.